

प्रेस नोट

दिनांक 03.07.2025

थाना जलालपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.07.2025 को थाना जलालपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 88/2025धारा 118(2) बीएनएस से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त अरिविन्द राजपूत पुत्र प्रभूदयाल को कांवर डेरा मार्ग पुलिया के पास वहद ग्राम बिलगांव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0 न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अरविन्द राजपूत पुत्र प्रभूदयाल उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम पीरी का डेरा मजरा पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर। आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 414/09 धारा 323/325/504 आईपीसी जलालपुर
- 2. मु0अ0सं0 99/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट जलालपुर
- 3. मु0अ0सं0 100/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट जलालपुर
- 4. मु0अ0सं0 172/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट जलालपुर
- 5. मु0अ0सं0 42/2021 धारा 8/20एनडीपीएस एक्ट जलालपुर
- 6. मु0अ0सं0 217/2021 धारा 8/20एनडीपीएस एक्ट जलालपुर
- 7. मु0अ0सं0 73/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट जलालपुर
- 8. मु0अ0सं0 125/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 जलालपुर
- 9. मु0अ0सं0 78/2025 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस जलालपुर
- 10. मु0अ0सं0 88/25 धारा 118(2)बीएनएस जलालपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 01.30नि0 रमाकान्त
- 02.उ0नि0 खेन्द्र सिंह
- 03.हे0का0 राजेन्द्र सिंह
- 04.का0 मनोज कुमार